उत्पाद-शुल्क

1944 का 1

73. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) धारा 2 के खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 2 का संशोधन।

'**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ''माल'' के अंतर्गत ऐसी कोई वस्तु, सामग्री या पदार्थ है, जो प्रतिफल के लिए क्रय और विक्रय किए जाने के योग्य है और ऐसा माल विपण्य समझा जाएगा ।'।

74. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 3 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 3क का अंतःस्थापन।

अधिसूचित माल की बाबत उत्पादन की क्षमता के आधार पर उत्पाद-शुल्क प्रभारित करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति।

'3क. (1) धारा 3 में किसी बात के होते हुए भी, जहां केंद्रीय सरकार की, किसी विनिर्दिष्ट वर्णन के उत्पाद-शुल्क्य माल के विनिर्माण या उत्पादन की प्रक्रिया की प्रकृति को, ऐसे माल के संबंध में शुल्क से अपवंचन की सीमा या ऐसे अन्य कारकों को, जो सुसंगत हों, ध्यान में रखते हुए, यह राय है कि राजस्व के हित की रक्षा करने के लिए आवश्यक है तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे माल को अधिसूचित माल के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी और ऐसे माल पर इस धारा के उपबंधों के अनुसार उत्पाद-शुल्क उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी की जाती है वहां केंद्रीय सरकार, नियमों द्वारा,—

(क) उस कारखाने की, जिसमें ऐसे माल का उत्पादन किया जाता है, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त की पंक्ति से अनिम्न किसी अधिकारी द्वारा वार्षिक उत्पादन क्षमता के अवधारण की रीति का उपबंध कर सकेगी और ऐसी वार्षिक क्षमता ऐसे कारखाने द्वारा ऐसे माल का वार्षिक उत्पादन माना जाएगा ; या

(ख) (i) ऐसे माल के उत्पादन से सुसंगत कारक और उस मात्रा को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसका ऐसे कारक की किसी इकाई के उपयोग द्वारा उत्पादन किया जाना माना जाता है ; और

(ii) उस कारखाने की, जिसमें ऐसे माल का उत्पादन किया जाता है, ऐसे कारक के आधार पर केंद्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त की पंक्ति से अनिम्न किसी अधिकारी द्वारा वार्षिक उत्पादन क्षमता के अवधारण का उपबंध कर सकेगी और ऐसी वार्षिक उत्पादन क्षमता, ऐसे कारखाने द्वारा ऐसे माल का वार्षिक उत्पादन समझी जाएगी :

परंतु जहां अधिसूचित माल का उत्पादन करने वाला कारखाना वर्ष के एक भाग में ही चलता है, वहां उसके वार्षिक उत्पादन की संगणना वार्षिक उत्पादन क्षमता के आनुपातिक आधार पर की जाएगी :

परंतु यह और कि ऐसे मामले में जहां उत्पादन से संबंधित कारक वर्ष के दौरान किसी समय परिवर्तित या उपांतरित किया जाता है, वहां वार्षिक उत्पादन का पुनः निर्धारण ऐसे परिवर्तन या उपांतरण को ध्यान में रखते हुए आनुपातिक आधार पर किया जाएगा ।

(3) अधिसूचित माल पर उत्पाद-शुल्क का उद्ग्रहण, यथास्थिति, उत्पादन एकक पर या उत्पादन से सुसंगत कारक के आधार पर ऐसी दर पर किया जाएगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे और उसका संग्रहण ऐसी रीति से किया जाएगा, जो विहित की जाए :

परंतु जहां अधिसूचित माल का उत्पादन करने वाले कारखाने ने पन्द्रह दिन की या उससे अधिक की लगातार किसी अवधि के दौरान अधिसूचित माल का उत्पादन नहीं किया है, वहां आनुपातिक आधार पर संगणित शुल्क को ऐसी अवधि की बाबत कम कर दिया जाएगा यदि ऐसे माल का विनिर्माता ऐसी शर्तों को पूरा करता है, जो विहित की जाएं ।

(4) इस धारा के उपबंध किसी शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम द्वारा उत्पादित या विनिर्मित और भारत में किसी अन्य स्थान पर लाए गए माल को लागू नहीं होंगे ।

स्पष्टीकरण 1—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित माल पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क, तत्समय प्रवृत्त किसी अधिसूचना के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची के अधीन ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क समझा जाएगा । 1975 का 51 1986 का 5

स्पष्टीकरण 2—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम'' पद का वही अर्थ होगा, जो धारा 3 में है।'। 5

धारा 11ख का संशोधन।

75. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11ख में,—

(i) उपधारा (1) मे,—

(क) ''उत्पाद-शुल्क'' शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, ''उत्पाद-शुल्क और ऐसे शुल्क पर संदत्त ब्याज, यदि कोई हो'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) ''शुल्क'' शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, ''शुल्क और ऐसे शुल्क पर संदत्त ब्याज, यदि कोई हो'' शब्द रखे जाएंगे ; 10

(ii) उपधारा (2) में, पहले परंतुक के खंड (क) और खंड (ग) के सिवाय,—

(क) ''उत्पाद-शुल्क'' शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, ''उत्पाद-शुल्क और ऐसे शुल्क पर संदत्त ब्याज, यदि कोई हो" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) ''शुल्क'' शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, ''शुल्क और ऐसे शुल्क पर संदत्त ब्याज, यदि कोई हो'' शब्द रखे जाएंगे । 15

धारा 11घ का संशोधन।

76. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11घ में,—

(i) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

''(1क) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसने किसी व्यक्ति से, किसी उत्पाद-शुल्क्य माल पर निर्धारित या अवधारित और संदत्त अधिक शुल्क की कोई रकम किसी व्यक्ति से किसी भी रीति में संगृहीत की है या किसी ऐसे उत्पाद-शुल्क्य माल पर, जो शुल्क से पूर्णतया छूट प्राप्त है, संगृहीत की है, या वह शुल्क की शून्य दर पर प्रभार्य है, उत्पाद-शुल्क के रूप में किसी रकम का तुरंत केन्द्रीय सरकार के खाते में संदाय करेगा ।''; 20

(ii) उपधारा (2) में, ''उपधारा (1)'' शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, ''यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (1क)'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (4) में,— 25

(क) ''उपधारा (1) या उपधारा (3)'' शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, ''यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (1क) या उपधारा (3)'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) ''उपधारा (1)'' शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, ''उपधारा (1) और उपधारा (1क)'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 11घघ का संशोधन।

77. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11घघ की उपधारा (1) में, ''ऐसे माल के क्रेता से निर्धारित या अवधारित शुल्क से अधिक रकम संगृहीत की गई है वहां ऐसा व्यक्ति'' शब्दों के स्थान पर ''ऐसे माल के क्रेता या किसी व्यक्ति से निर्धारित या अवधारित शुल्क से अधिक रकम संगृहीत की गई है और संदाय की गई है या जहां किसी व्यक्ति ने किसी ऐसे उत्पाद-शुल्क्य माल पर, जो पूर्णतः शुल्क से छूट प्राप्त है या शुल्क की शून्य दर पर प्रभार्य है, उत्पाद-शुल्क के रूप में किसी रकम को संगृहीत किया है, वहां ऐसा व्यक्ति'' शब्द रखे जाएंगे । 30

धारा 35ख का संशोधन।

78. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ख की उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक और स्पष्टीकरण अंत में अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :— 35

'परंतु जहां केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के आयुक्तों की समिति की राय आयुक्त (अपील) के आदेश के विरुद्ध अपील के संबंध में भिन्न है, वहां वह ऐसे प्रश्न या प्रश्नों को कथित करेगी, जिन पर उनकी राय भिन्न है और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के अधिकारिता संबंधी मुख्य आयुक्त को निर्देश करेगी, जो आदेश के तथ्यों पर विचार करने के पश्चात्, यदि उसकी यह राय है कि आयुक्त (अपील) द्वारा पारित किया गया आदेश वैध या उचित नहीं है तो किसी केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को यह निदेश देगा कि वह ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को अपील करे । 40

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ''अधिकारिता संबंधी मुख्य आयुक्त'' से वह केंद्रीय उत्पाद-शुल्क मुख्य आयुक्त अभिप्रेत है, जिसकी उस मामले में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी पर अधिकारिता है ।'।

धारा 35ङ का संशोधन।

79. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ङ में,—

(i) उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 45

''परंतु जहां केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के मुख्य आयुक्तों की समिति की राय, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त के विनिश्चय या आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में भिन्न है, वहां वह ऐसे प्रश्न या प्रश्नों को कथित करेगी, जिन पर उसकी राय भिन्न है और बोर्ड को निर्देश करेगी, जो विनिश्चय या आदेश के तथ्यों पर विचार करने के पश्चात्, यदि उसकी यह राय है कि केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

आयुक्त द्वारा पारित किया गया विनिश्चय या आदेश वैध या उचित नहीं है तो वह, आदेश द्वारा, ऐसे आयुक्त या किसी अन्य आयुक्त को यह निदेश दे सकेगा कि वह उस विनिश्चय या आदेश से उद्भूत होने वाले ऐसे प्रश्नों के अवधारण के लिए अपील अधिकरण को आवेदन करे, जो उसके आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।'';

(ii) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

''(3) यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक आदेश न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के विनिश्चय या आदेश की संसूचना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर किया जाएगा ।''।

नई धारा 35चच का अंतःस्थापन।

80. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35च के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

धारा 35च के परंतुक के अधीन जमा की गई रकम के विलंबित प्रतिदाय पर ब्याज।

''35चच. जहां धारा 35च के पहले परंतुक के अधीन आयुक्त (अपील) या अपील अधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् अपील प्राधिकारी कहा गया है) द्वारा पारित किसी आदेश के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा जमा की गई रकम का अपील प्राधिकारी के आदेश के परिणामस्वरूप प्रतिदाय किया जाना अपेक्षित है और ऐसी रकम का प्रतिदाय न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से तीन मास के भीतर नहीं किया जाता है तो, जब तक अपील प्राधिकारी के आदेश के प्रवर्तन पर किसी उच्चतर न्यायालय या अधिकरण द्वारा रोक न लगा दी गई हो, अपीलार्थी को अपील प्राधिकारी के आदेश की संसूचना की तारीख से तीन मास की समाप्ति के पश्चात् उस रकम के प्रतिदाय की तारीख तक धारा 11खख में विनिर्दिष्ट दर से ब्याज संदत्त किया जाएगा ।''।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 का संशोधन।

81. (1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 699(अ), तारीख 22 सितंबर, 1994 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 1944 के नियम 2 द्वारा यथाप्रतिस्थापित नियम 12 चौथी अनुसूची के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट रीति में उस अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट नियम के सामने उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख से ही भूतलक्षी रूप से संशोधित हो जाएगा और संशोधित किया गया समझा जाएगा ।

(2) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) द्वारा यथासंशोधित नियम के अधीन 8 जुलाई, 1999 से प्रारंभ होने वाली और 30 जून, 2001 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या बात सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई और सदैव की गई समझी जाएगी मानो उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में रहा था ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अधिक्रमण के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार को उस उपधारा के प्रयोजनों के लिए भूतलक्षी प्रभाव से इस प्रकार नियम बनाने की शक्ति होगी और यह माना जाएगा कि उसे इस प्रकार नियम बनाने की शक्ति है मानो केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 के अधीन सभी तात्विक समयों पर भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति थी ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से कोई कार्य या लोप ऐसे अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा जो, यदि यह धारा प्रवृत्त नहीं हुई होती तो इस प्रकार दंडनीय नहीं होता ।

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (सं. 2) नियम, 2001 का संशोधन।

82. (1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (सं. 2) नियम, 2001 में, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 444 (अ), तारीख 21 जून, 2001 द्वारा राजपत्र में यथा प्रकाशित उसका नियम 18, पांचवीं अनुसूची के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट रीति में, उस अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट नियम के सामने उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीख से ही भूतलक्षी रूप से संशोधित हो जाएगा और संशोधित किया गया समझा जाएगा ।

(2) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) द्वारा यथासंशोधित नियम के अधीन 1 जुलाई, 2001 से ही प्रारंभ होने वाली और 28 फरवरी, 2002 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय की गई कोई कार्रवाई या कोई बात या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या बात सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई और सदैव की गई समझी जाएगी मानो उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में रहा था ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (सं. 2) नियम, 2001 के अधिक्रमण के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार को, उस उपधारा के प्रयोजनों के लिए भूतलक्षी रूप से इस प्रकार नियम बनाने की शक्ति होगी और समझा जाएगा कि उसे इस प्रकार नियम बनाने की शक्ति है मानो केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 के अधीन सभी तात्विक समयों पर भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति थी ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से कोई कार्य या लोप ऐसे अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा जो, यदि यह धारा प्रवर्तन में नहीं आई होती तो इस प्रकार दंडनीय नहीं होता ।

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 का संशोधन।

83. (1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 143(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा राजपत्र में यथा प्रकाशित उसके नियम 18 का छठी अनुसूची के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट रीति में उस अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट नियम के सामने उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीख से ही भूतलक्षी रूप से संशोधन हो जाएगा और संशोधित किया गया समझा जाएगा ।

(2) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) द्वारा यथासंशोधित नियम के अधीन 1 मार्च, 2002 से प्रारंभ होने वाली और 7 दिसंबर, 2006 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या बात सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप

से इस प्रकार की गई और सदैव की गई समझी जाएगी मानो उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में रहा था ।

(3) केन्द्रीय सरकार को उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए भूतलक्षी रूप से इस प्रकार नियम बनाने की शक्ति होगी और समझा जाएगा कि उसे इस प्रकार नियम बनाने की शक्ति है मानो केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 के अधीन सभी तात्विक समयों पर भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति थी ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से कोई कार्य या लोप ऐसे अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा जो, यदि यह धारा प्रवर्तन में नहीं आई होती तो इस प्रकार दंडनीय नहीं होता ।

उत्पाद-शुल्क टैरिफ

1986 के अधिनियम 5 का संशोधन ।

84. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है), पहली अनुसूची का संशोधन सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से किया जाएगा।